न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 57 / 2017 (राजसमन्द डिकी)

1. मांगीलाल पिता डालु जी कुमावत, निवासी बामनिया कला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. प्यारचन्द पिता डालु जी कुमावत, निवासी बामनिया कला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. हीरालाल पिता डालु जी कुमावत, निवासी बामनिया कला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. कैलाश पिता डालु जी कुमावत, निवासी बामनिया कला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती कंकु पत्नी डालु जी कुमावत, निवासी बामनिया कला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. मांगीबाई पुत्री डालु जी कुमावत, निवासी बामनिया कला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती लेहरी बाई पत्नी भूरालाल जी कुमावत, निवासी बामनिया कला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती सोहनी पुत्री मोहनलाल जी पत्नी कालु जी कुमावत, निवासी नई आबादी आसोटिया कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती कमला पुत्री मोहनलाल जी पत्नी नानालाल जी कुमावत, निवासी गोगाथला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती लेहरी बाई बेवा मोहनलाल जी कुमावत, निवासी गोगाथला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (नाम तर्क किया गया)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिकी उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा
दिनांक 29.05.2017 प्र.सं. 266 / 10

———:::———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री मुकेश तलेसरा अभिभाशक अपीलान्टगण
2. श्री उदयलाल कुमावत अभिभाषक रे॰सं॰ 1, 3
3. श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5

निर्णय दिनांक

27—06—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बामनिया कला में आराजी नंबर 1039, 1938 से 1941 कुल किता 5 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 5/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा था। उक्त प्रतिवादीगण ने आराजी नंबर 1938 से 1941 किता 4 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा भूमि में से अपना 3/8 हिस्सा वादिया को रजिस्टर्ड विकय पर से विकय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, तब से वादिया निरन्तर उपयोग—उपभोग करती चली आ रही है। अतः उक्त भूमियों का विभाजन किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर दिनांक 29—05—2017 को निर्णय पारित करते हुए वादिया का वाद स्वीकर कर डिक्री जारी की, जिसस रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 10—10—2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण द्वारा जब अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर तारीख पेशी की जानकारी की तो उन्हें राजस्व लोक अदालत में निर्णय होने की जानकारी प्राप्त हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में राजस्व लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है, जिसकी सूचना अपीलान्टगण को दिये जाने की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 3 की ओर से वकील श्री उदयलाल कुमावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 का नाम तर्क किया गया। रेस्पान्डेन्ट संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। वकील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी है, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में लोक अदालत में निर्णय पारित कर दिया, जिससे उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला है तथा विभाजन में नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट 1 व 3 के विद्वान अभिभाषक अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा तो यह पाया कि राजस्व कैम्प में प्रकरण रखे जाने की प्रतिवादीगण को कोई सूचना दिये जाने की कोई साक्ष्य रेकार्ड पर नहीं है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनकी अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है, जो राजस्व लोक अदालत की भावना के विपरीत है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री

प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–05–2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को सुनवाई का समुचित अवसर देकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–08–2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27–06–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

सुरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि0 बेमला, तह0 गिर्वा हाल मकान नं.37 नाकोड़ा नगर 11, धाऊजी की बाड़ी बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

दलपतसिंह पिता मनोहरसिंह देवड़ा निवासी सिंगावतों का वाडा, देबारी तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं॰.....47 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....रेलमगरा..... मुकाम.....मुवर्खे.....18.....माह..... 07.....2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....13....माह.....03.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी..श्री ओंकारलाल डांगी..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री महेन्द्र मेनारिया/राजमल राव

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....13.....माह.....03..... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।